**भारत सरकार**

**गृह मंत्रालय**

**राज्य सभा**

**अतारांकित प्रश्न संख्या 2968**

**दिनांक 21.03.2018/30 फाल्गुन, 1939 (शक) को उत्तर के लिए**

**आतंकी समूहों और गैर-कानूनी संगठनों की पहचान**

**2968. श्री प्रताप सिंह बाजवाः**

**क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः**

**(क) क्या सरकार ने विधि विरुद्ध क्रिया-कलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 के तहत राष्ट्र विरोधी**

**पृथकतावादी गतिविधियों के लिए जिम्मेदार अनेक आतंकी समूहों तथा गैर-कानूनी संगठनों की पहचान की है;**

**(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;**

**(ग) ऐसे समूहों तथा संगठनों की गैर-कानूनी/आतंकी गतिविधियों को रोकने के लिए आज की तारीख तक उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की गई है और उनकी गतिविधियों को रोकने में यह कार्यवाही कितनी सफल रही है; और**

**(घ) क्या सरकार को ऐसे अनेक संगठनों को आतंकी संगठन घोषित किए जाने के लिए विभिन्न राज्य सरकारों से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है?**

**उत्तर**

**गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हंसराज गंगाराम अहीर)**

(क) से (घ): सरकार ने विधि विरूद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 की पहली अनुसूची में शामिल करके 39 संगठनों को आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया है, जिनकी सूची अनुलग्नक-I में दी गई है। इसके अतिरिक्त, केंद्र सरकार द्वारा किसी संगठन को विधिविरूद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 (यूएपीए) की धारा 3 से धारा 6 के अनुसार विधिविरूद्ध घोषित किया जाता है। विधिविरूद्ध की सूची अनुलगनक-II में दी गई है।

केंद्र और राज्यों की विधि प्रवर्तन एजेंसियां आतंकवादी/विधिविरूद्ध गतिविधियों में लिप्त व्यक्तियों/समूहों के विरुद्ध विधि सम्मत कारवाई करती हैं।

\*\*\*\*\*\*

-2-

**अनुलग्नक-।**

**रा.स.अता.प्र.सं.2968**

**दिनांक 21 मार्च,.2018 के राज्य सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2968 के भाग (क) एवं (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक-**।

**एपीए की प्रथम अनुसूची के अन्तर्गत आतंकवादी संगठनों की सूची**

1. बब्बर खालसा इन्टरनेशनल
2. खालिस्तान कमाण्डो फोर्स
3. खालिस्तान जिन्दाबाद फोर्स
4. इन्टरनेशनल सिख यूथ फेडरेशन
5. लश्कर-ए-तैयबा/पास्बान-ए-अहले हदीस
6. जैश-ए-मोहम्मद/तहरीक-ए-फुरकान
7. हरकत-उल-मुजाहिद्दीन/हरकत-उल-अंसार/हरकत-उल-जेहाद-ए-इस्लामी
8. हिज्ब-उल-मुजाहिद्दीन/हिज्ब-उल-मुजाहिद्दीन पीर पंजाल रेजिमेंट
9. अल-उमर-मुजाहिद्दीन
10. जम्मू एवं कश्मीर इस्लामिक फ्रंट
11. यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम (उल्फा)
12. नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोड़ोलैण्ड (एन डी एफ बी),असम
13. पीपुल्स लिबरेशन आर्मी (पी एल ए)
14. यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन फ्रंट (यू एन एल एफ)
15. पीपुल्स रिवोल्यूशनरी पार्टी ऑफ कंगलेइपाक (प्रीपाक)
16. कंगलेइपाक कम्यूनिस्ट पार्टी (के सी पी)
17. कंगलेइ याओल कंबा लूप (के वाई के एल)
18. मणिपुर पीपुल्स लिबरेशन फ्रंट (एम पी एल एफ)
19. ऑल त्रिपुरा टाइगर फोर्स
20. नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा
21. लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम (एल टी टी ई)
22. स्टूडेंट्स इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इण्डिया
23. दीनदार अंजुमन
24. कम्यूनिस्ट पार्टी ऑफ इण्डिया (मार्क्सवादी-लेनिनवादी)- पीपुल्स वार, इसकी समस्त शाखाएँ एवं अग्रणी संगठन
25. माओवादी कम्युनिस्ट सेन्टर (एम सी सी), इसी समस्त शाखाएँ एवं अग्रणी संगठन
26. अल बदर
27. जमायत-उल-मुजाहिद्दीन
28. अल-कायदा
29. दुखतरन-ए-मिलात (डी ई एम)
30. तमिलनाडु लिबरेशन आर्मी (टी एन एल ए)

-3-

**अनुलग्नक-।**

**रा.स.अता.प्र.सं.2968**

1. तमिल नेशनल रिट्रीइवल ट्रुप्स (टी एन आर टी)
2. अखिल भारत नेपाली एकता समाज (ए बी एन ई एस)
3. यूनाइटेड नेशन्स (सिक्यूरिटी कौंसिल) एक्ट, 1947 (1947 का 43) की धारा 2 तथा समय-समय पर किए गए संशोधन के अन्तर्गत बनाए गए यू.एन. प्रीवेंशन एण्ड सप्रेशन ऑफ टेररिज्म (इंप्लिमेंटेशन ऑफ सिक्यूरिटी कौंसिल रिजोल्यूशन्स) आर्डर, 2007 की अनुसूची में सूचीबद्ध संगठन
4. कम्यूनिस्ट पार्टी ऑफ इण्डिया (माओवादी), इसकी समस्त शाखाएँ तथा अग्रणी संगठन
5. इण्डियन मुजाहिद्दीन और इसकी समस्त शाखाएँ तथा अग्रणी संगठन
6. गोरा नेशनल लिबरेशन आर्मी और इसकी समस्त शाखाएं एवं अग्रणी संगठन।
7. कमतापुर लिबरेशन आर्गेनाइजेशन और इसकी समस्त शाखाएं एवं अग्रणी संगठन।
8. इस्लामिक स्टेट/इस्लाममिक स्टेट ऑफ इराक एवं लेवंत/इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया/दनिश और इसकी समस्त शाखाएं
9. नेशनल सोसलिस्ट कांउसिल ऑफ नागालैंड (खापलांग) [एनएससीएन(के)] एवं इसकी समस्त शाखाएं और अग्रणी संगठन।

---

-4-

**अनुलग्नक-।।**

**रा.स.अता.प्र.सं.2968**

**दिनांक 21 मार्च 2018 के राज्य सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2968 के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक-।।**

**एपीए के अन्तर्गत ‘विधिविरुद्ध संगठन’ की सूची**

1. स्टूडेंट्स इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इण्डिया (सिमी)
2. यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम (उल्फा)
3. नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोड़ोलैण्ड (एन डी एफ बी)
4. मेइतेइ एक्सट्रिमिस्ट आर्गेनाइजेशन, जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं :-
   1. पीपुल्स लिबरेशन आर्मी (पी एल ए)
   2. यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन फ्रंट (यू एन एल एफ)
   3. पीपुल्स रिवोल्यूशनरी पार्टी ऑफ कंगलेइपाक (प्रीपाक)
   4. कगलेइपाक कम्यूनिस्ट पार्टी (के सी पी)
   5. कंगलेइ याओल कंबा लूप (के वाई के एल)
   6. मणिपुर पीपुल्स लिबरेशन फ्रंट (एम पी एल एफ)
   7. रिवोल्यूशनरी पीपुल्स फ्रंट (आर पी एफ)
   8. कोरकोम (छह घाटी आधारित भूमिगत संगठनों का समूह)
5. ऑल त्रिपुरा टाइगर्स फोर्स (ए टी टी एफ)
6. नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा (एन एल एफ टी)
7. हाइनीट्रेप नेशनल लिबरेशन कौंसिल (एच एन एल सी)
8. लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम।
9. नेशनल सोस्लिस्ट काउंसिल आफ नागालैंड (खाप्लांग)
10. इस्लामिक रिसर्च फाउन्डेशनल (आईआरएफ)

---